रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 मई, 2004/31 वैशाख, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 7 मई, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-आई0 (II) 23/91-2230-34.—खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा ने अपने कार्यालय पत्र सं0 2, दिनांक 1-4-2004 के अन्तर्गत सूचित किया है कि निर्माण स्कूल कार्य में मस्ट्रोल मास अक्तूबर, 2002 में क्रम सं0 6 पर श्री रूप लाल सुपुत्र श्री गोरखू राम की 30 दिन कार्य पर उपस्थिति दर्शा कर फर्जी हस्ताक्षर द्वारा आपने मु0 1800 रुपये की राशि का छलहरण किया है। जिसकी पुष्टि स्वयं श्री रूप लाल ने अपने ब्यान में की है।

क्योंकि इस प्रकार श्री राम धन, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बलोल, विकास खण्ड कांगड़ा द्वारा पंचायत निधि का दुरुपयोग तथा अपने पद एवं शक्तियों के दुरूपयोग करने के आरोप प्रकट हुए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हि0 प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम, 1987 के नियम 142(क) के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्री रामधन, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बलोल को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं। आपका उत्तर इस कार्यालय में 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा के माध्यम से प्राप्त होना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है।

क्रमांक पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-ई0 (11) 23/91-2223-28.—खण्ड विकास अधिकारी कांगड़ा ने अपने पत्र सं0-2, दिनांक 1-4-2004 के अन्तर्गत सूचित किया है कि आप द्वारा रा0 प्रा0 पा0 शननी का पुराना भवन गिरा कर जिसके लिये पंचायत स्वयं सक्षम नहीं है भवन सामग्री सामान की नीलामी मु0 6700/- रुपये में की गई दर्शाई जबकि यह राशि 11,200/- रुपये बनती है पंचायत निधि में जमा न करके उक्त राशि का आप द्वारा दुरुपयोग किया गया है ।

निर्माण स्कूल कार्य में श्री रूप लाल सुपुत्र श्री गोरखू राम के नाम मस्ट्रोल क्रमांक 6 पर दर्ज करके 30 दिन की मजदूरी मु0 1800/- रुपये उसके फर्जी हस्ताक्षर, से आपके द्वारा अदायगी किया जाना सत्यापित पाया गया है जोकि पंचायत निधि का दुरुपयोग है ।

निर्माण रास्ता लिखा टिला हेतु मस्ट्रोल मास मार्च, 2001 में क्र0 सं0 2 पर श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री गोरखू राम को मु0 357/- रुपये की अदायगी श्री रूप लाल के फर्जी हस्ताक्षर से की गई है । इसमें भी राशि का दुरुपयोग पाया गया ।

दो मस्ट्रोल मास मई, 2001 मु0 14,943/- रुपये व मु0 5355/- रुपये एक ही समय पर दोनों मस्ट्रोल पर एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज करके मु0 4284/- रुपये की दोहरी अदायगी की गई तथा क्र0 सं0 2 पर श्री प्रेम चन्द पुत्र गोरखू राम को मु0 357/- रुपये की अदायगी बिना किये राशि दर्ज रोकड़ पाई गई अत: 4284 जमा 357 कुल राशि 4641/- रुपये का दुरुपयोग है ।

क्योंकि इस प्रकार श्रीमती सुदेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत बलोल द्वारा पंचायत निधि का दुरुपयोग तथा अपने पद व शक्तियों का भी दुरुपयोग किया है ।

अत: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (1) (क) के अधीन पढ़ा जाए, के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्रीमती सुदेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत बलोल, विकास खण्ड कांगड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए आपको प्रधान, ग्राम पंचायत बलोल के पद से निलम्बित कर दिया जाये । वांछित दोषारोपण सूचि साथ संलग्न है ।

आपका स्पष्टीकरण इस नोटिस के जारी होने की तिथि के 15 दिन के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है ।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 24 अप्रैल, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु) कारण बताओ/त्याग-पत्र-768-72.—एतद्द्वारा श्री धर्मपाल (निलम्बित) प्रधान, ग्राम पंचायत भलाण-1 विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नत: है :—

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत् पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 3226, दिनांक 11-9-2003 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि आपके तीसरी सन्तान जून 2001 के पश्चात् उत्पन्न हुई है आपके द्वारा दो सन्तानों का इंद्राज नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू द्वारा परिवार रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि आपकी प्रथम सन्तान पुत्री आंचल शर्मा के नाम की सूचना पंचायत में नहीं करवाई है तथा पंचायत के निवासियों से प्राप्त शिकायत पत्र के अनुसार आपके तीसरी सन्तान दिनांक 28-8-2003 को उत्पन्न हुई है। आपके द्वारा अपने राशन कार्ड को बनवाने हेतु विहित प्रपत्रानुसार प्रार्थना-पत्र के क्रमांक 4 पर आंचल शर्मा, पुत्री का उल्लेख किया गया है जिससे आपकी प्रथम सन्तान की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गड़सा के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र दिनांक 3-3-2003 से भी प्रथम सन्तान की पुष्टि होती है। इस तरह आपके तीसरी सन्तान दिनांक 28-8-2003 को हुई है। अत: आप स्पष्ट करें की प्रधान पद पर आसीन होते हुए भी आपने तीसरी सन्तान की सूचना पंचायत में क्यों नहीं करवाई जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा संधारित जन्म रजिस्टर में तत्सम्बधी प्रविष्टि नहीं की जा सकी है।

अत: मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2) तथा 131(2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री धर्मपाल (निलम्बित) प्रधान ग्राम पंचायत भलाण-1 को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ती के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत भलाण-1 के प्रधान पद को रिक्त घोषित किया जाए। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आदेश

कुल्लू, 24 अप्रैल, 2004

संख्या: पी0 सी0 एच0 (कु0)-760-67.—श्री धर्मपाल, प्रधान, ग्राम पंचायत भलान-1, विकास खण्ड कुल्लू हिमाचल प्रदेश को खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कुल्लू द्वारा की गई प्राथमिक जाँच/निरीक्षण के आधार पर निम्न वर्णित आरोपों में संलिप्त पाया गया हैं जिसके दृष्टिगत उन्हें उपायुक्त कुल्लू, जिला कूल्लू के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) 195-200, दिनांक 30-1-2004 के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया गया है। आरोपों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. यह कि उक्त प्रधान द्वारा अपने पास मास 7/2002 से रु0 40240/- रुपये नकद शेष अनाधिकृत रूप से रखा गया है जबकि नियमानुसार प्रधान नकद शेष रखने हेतु सक्षम नहीं है। नकद शेष जमा पंचायत

निधि करने हेतु उक्त प्रधान को जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू द्वारा उनके कार्यालय पत्र संख्या 3343 दिनांक 1-11-2002, 295, दिनांक 3-4-2003 तथा पत्र संख्या 1939, दिनांक 18-9-2003 द्वारा लिखा गया परन्तु प्रधान द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई इस प्रकार प्रधान श्री धर्मपाल द्वारा न केवल सभा निधि का दुरुपयोग किया गया बल्कि पंचायत को प्राप्त होने वाले ब्याज से भी वंचित रखा गया है जो कि वाणिज्य दर (12.5 प्रतिशत) की दर से मास 9/2003 तक मु0 6288/रुपये ब्याज सहित वसूली योग्य है।

2. यह कि श्री धर्मपाल, प्रधान द्वारा दिनांक 30-3-2001 को चैक संख्या 843163 द्वारा मु0 25000/-रुपये हिमाचल ग्रामीण बैंक गड़सा से निकाले गये जिनका इन्द्राज रोकड़ वही पर नहीं करवाया गया। इस प्रकार मु0 25000/- रुपये का उपयोग उक्त प्रधान द्वारा निजि कार्य हेतु करके सरकारी अनुदान/सभा निधि का दुरुपयोग किया गया, जिसकी वसूली उनसे मास 9/2003 तक वाणिज्य दर 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मु0 7552/-रुपये सहित वांछित है।

3. यह कि श्री धर्मपाल प्रधान द्वारा निमार्ण पक्का रास्ता गांव बड़ा शरण हेतू कल्याण विभाग से मु0 30,000/- रुपये का अनुदान रसीद संख्या 42573, दिनांक 5-6-2003 के अन्तर्गत प्राप्त किया परन्तु राशि का जमा बैंक करने का कोई विवरण नहीं है। अतः उक्त प्रधान द्वारा राशि का निजि उपयोग करके न केवल राशि का दुरूपयोग किया गया बल्कि पंचायत को प्राप्त होने वाले ब्याज से भी वंचित रखा गया, जिसकी वसूली उनसे मास 9/2003 तक 12.5 प्रतिशत ब्याज की दर से मु0 1250/- रुपये सहित वांछित है।

4. यह कि खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू के पत्र संख्या 3226, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 अनुसार प्रधान श्री धर्मपाल के तीन संताने होने की रिपोर्ट है परन्तु उक्त प्रधान द्वारा प्रथम तथा तीसरी सन्तान (तीसरी सन्तान जून, 2001 के बाद) का इन्द्राज पंचायत में न करके अपने पद तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) की उल्लंघना की गई है। प्रधान के दो सन्ताने होने का प्रमाण जो जून 2001 से पहले की है, उनके द्वारा राशन कार्ड प्राप्ति हेतु भरे फार्म तथा आगनवाड़ी कार्यकर्ता व प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र गड़सा द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों से भी होता है जबकि उक्त प्रधान द्वारा उनमें से भी प्रथम सन्तान दर्ज पंचायत नहीं करवाई गई है।

5. यह कि अंकेक्षण पत्र अवधि 4/2001 से 3/2002 अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त अनाज का इन्द्राज रोकड़ वही पर आय की ओर न करके व्यय की ओर नगद तथा अनाज दोनों की कुल अदायगी को नगद शेष से कम करके निम्नलिखित राशि का प्रधान श्री धर्म पाल द्वारा गवन किया गया क्योंकि नगद शेष प्रधान के पास दर्शाया गया है। अतः निम्नलिखित दर्शाई गई राशि मु0 12248.50 रुपये उक्त प्रधान से वसूली योग्य है :—

अंकेक्षण पत्र का पैरा संख्या	रोकड़ पृ0	दिनांक	राशि	कार्य का नाम
1	2	3	4	5
5ख (4)	107	9-7-2001	2190.00 2205.00	300 कि0 ग्रा0 व 315 कि0 ग्रा0 चावल बावत निर्माण प्राथमिक पाठशाला भवन गड़सा
5ख (5)	113	17-11-2001	3010.00	430 कि0 ग्रा0 बावत चक्का तलाई धार
5ख (12)	112	17-11-2001	4933.50	715 कि0 ग्रा0 चावल बावत चक्का तलाई माहुन।
		कुल राशि	12248.50	

6. यह कि अंकेक्षण-पत्र अवधि 4/2001 से 3/2002 से पैरा संख्या 3 ख (4, 8, 9 व 11) अनुसार प्रधान श्री धर्मपाल द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर एक समय में एक ही व्यक्ति को दोहरी हाजरी लगाकर रु0 3032/- रुपये का छलहरण किया गया है।

पूर्व इसके कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उक्त पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाए। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में नियमित/विभागीय जांच करवा कर राज्य सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने के उद्देश्य से नियमित जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पी सी एच-एच ए (5)72/2003-21257-283 दिनांक 29-10-2003 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) की अनुपालना में, मैं श्री धर्मपाल, निलम्बित प्रधान ग्राम पंचायत भलाण-1, विकास खण्ड कुल्लू के विरुद्ध उपर वर्णित आरोपों की नियमित जांच हेतु श्री बी0 सी0 भण्डारी, परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास अभि0 कुल्लू को जांच अधिकारी तथा श्री प्रेम सिंह, जिला अंकेक्षण अधिकारी कुल्लू को अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूं। जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वह इस प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी जांच पर आधारित जांच रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति के एक मास के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। श्री धर्मपाल, निलम्बित प्रधान ग्राम पंचायत भलाण-1, विकास खण्ड कुल्लू को भी निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त विवरण अनुसार आरोप क्रमांक 1 से 6 तक के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जांच अधिकारी द्वारा सूचित करने पर जांच अवसर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 27 अप्रैल, 2004

संख्या एफ0 डी0 एस0-एल0 एस0 पी0(ई) 1/03-1026-1190.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-एल0 एस0 पी0 (ई) (1) 1/03-857-1016, दिनांक 22-4-2004 की निरन्तरता में हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3(1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 आर0 वर्मा (भा0 प्र0 से0), जिला दण्डाधिकारी, लाहौल एवं स्पिति स्थित केलंग व उदयपुर उप-मण्डल में संदर्भित अधिसूचना की अनुसूची सं0 12 के क्रम संख्या 1 में दर्ज मीट (बकरा/मेढ़ा) की दर संशोधित कर मुबलिग 105.00 रुपए (एक सौ पांच) रुपए प्रति किलो ग्राम निर्धारित करता हूं। यह आदेश तुरन्त लागू होंगे।

आदेश द्वारा,

बी0 आर0 वर्मा,
जिला दण्डाधिकारी,
लाहौल एवं स्पिति स्थित केलंग।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित